



सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष 2012 के प्रथम सत्र में

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

देहरादून, मंगलवार, 27 मार्च, 2012 (चैत्र 07, शक सम्वत्, 1934)

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता
प्रतिपक्ष तथा विधान सभा के माननीय सदस्यगण

उत्तराखण्ड राज्य की तृतीय निर्वाचित विधान सभा के गठन पर मैं सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देती हूँ। यह सन्तोष का विषय है कि सामान्य निर्वाचन का चुनौतीपूर्ण कार्य राज्य की जनता तथा सभी दलों के सहयोग एवं प्रशासन के प्रयासों से शान्तिपूर्ण एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हो सका है। इस अवसर पर मैं उत्तराखण्ड की जनता को विशेष रूप से बधाई देती हूँ, जिन्होंने राज्य गठन के बाद तीसरी बार विधान सभा का चुनाव सम्पन्न किया है। राज्य के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक होगा कि दलगत राजनीति, वर्ग, जाति, क्षेत्र आदि की भावनाओं से ऊपर उठकर सभी पूरे मनोयोग से इस लक्ष्य की ओर भविष्य में अग्रसर हों। उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के संघर्ष में बलिदान देने वालों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए मेरी सरकार उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व जनता के प्रति जवाबदेही युक्त देवभूमि के संस्कारों एवं आदर्शों के अनुसार आदर्श राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होगी।

2. मेरी सरकार प्रदेश में एक जवाबदेह प्रशासन के साथ आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति देने के लिए :—

- ❖ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन तंत्र विकसित करने,
- ❖ पुनर्गठन आयोग के माध्यम से आम लोगों की राय के अनुरूप जिला, तहसील, ब्लॉक इकाइयों का पुनर्गठन करने,
- ❖ कुमाऊँ और गढ़वाल में एक-एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करने,
- ❖ जिला व तहसील स्तर पर शिकायतों का कम्प्यूटराइज्ड रजिस्टर तैयार कर इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों का गठन करने,
- ❖ राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ व आधुनिकीकृत करने हेतु राजस्व पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने,
- ❖ दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जिला मुख्यालय पर आर्मी की तर्ज पर फेमिली क्वार्टर्स का बड़े पैमाने पर निर्माण करने,

- ❖ राज्य में सूचना तंत्र प्रणाली को मजबूत व विस्तारित करते हुए ई-गवर्नेंस को ग्राम स्तर तक शुरू करने,
- ❖ मंत्रियों, विधायकों व राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना कानूनी रूप से अनिवार्य करने, तथा
- ❖ कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवास विकास परिषद् की स्थापना करने के लिए संकल्पबद्ध है।

3. मेरी सरकार राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए :—

- ❖ दीर्घ व अल्पकालिक योजना बनाकर राज्य के वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने,
- ❖ राज्य के कर प्रबन्धन ढांचे को दुरुस्त करने के साथ-साथ आय के अन्य स्रोतों के माध्यम से आमदनी बढ़ाने,
- ❖ बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं अनावश्यक प्रशासनिक व्यय पर अंकुश लगाकर ऋण के बोझ को कम करने, तथा
- ❖ राजनीतिक जीवन में सादगी एवं मितव्ययिता के आदर्श को स्थापित करते हुए जनता की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध है।

4. उत्तराखण्ड की अधिकांश जनता गांव में रहकर खेती बाड़ी के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है। राज्य के विकास में किसानों के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में मेरी सरकार :—

- ❖ कृषि महाविद्यालय तथा विकास खण्ड स्तर पर कृषि विद्यालयों की स्थापना करने,
- ❖ राज्य जैविक कृषि विकास कार्यक्रम योजना के माध्यम से प्रदेश के दो हजार गांवों को इसमें शामिल कर जैविक कृषि को प्रोत्साहित करते हुए जैविक उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था करने,
- ❖ दैवी आपदा, सूखा या जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की क्षति की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर फसल बीमा योजना लागू करने,
- ❖ माल्टा, नींबू, अदरक, आलू या अन्य स्थानीय उत्पाद वाले क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर किसानों को अधिकतम लाभ दिलाए जाने,

- ❖ नकदी फसलों, परम्परागत फसलों, जड़ी बूटियों एवं चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने तथा इनका उचित मूल्य दिलाये जाने,
- ❖ किसानों को सुचारु विद्युत सप्लाई, बकाया बिलों पर लगी दण्ड की माफी तथा कृषि उपकरणों जैसे—ट्र्यूबवैल, हैंड पम्प आदि की खरीद पर सहायता राशि का प्राविधान करने,
- ❖ जनसहमति से भूमि की चकबन्दी को प्रोत्साहित करते हुए चकबन्दी अपनाने वाले गांवों को पच्चीस लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना को क्रियान्वित करने, बिना चकबन्दी के सामूहिक खेती अपनाने वाले गांवों को भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर विचार करने और चकबन्दी नियमों में सुधार की दृष्टि से सरलीकरण करने,
- ❖ कृषि के उत्पादों के समुचित विपणन तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु पर्याप्त यातायात के साधन जैसे— रोपवे, भण्डारण/शीतगृह, की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जाने,
- ❖ चम्पावत में एक शीतोष्ण मछली पालन अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर करने तथा पहाड़ों की जलधाराओं में मछली पालन के प्रोत्साहन की योजना बनाए जाने,
- ❖ रामबांस, बांस एवं रिगाल विकास मिशन को वर्तमान वर्ष से बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने तथा शोध व तकनीक के लाभ का प्राविधान करने,
- ❖ टसर विकास बोर्ड को प्रभावी बनाते हुए सरकारी अनुदान के माध्यम से पांच हजार से अधिक परिवारों को रेशम उत्पादन योजना से सीधे जोड़े जाने,
- ❖ तराई क्षेत्र को सीड प्रोड्यूसिंग जोन के रूप में विकसित करने,
- ❖ कृषि ऋण की ब्याज दर को कम करते हुए किसानों को इसका लाभ दिलाए जाने,
- ❖ पचास हजार रुपये तक के समस्त ऋणों पर दण्डात्मक ब्याज को माफ करने,
- ❖ सहकारी बैंकों के ऋणों में वन टाइम सैटेल्मेन्ट के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करने,

- ❖ किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान शीघ्र किए जाने की व्यवस्था किए जाने, तथा
- ❖ बिना लाइसेंस के मैदानी क्षेत्रों में गन्ने के कोल्हू लगाने की स्वीकृति दिए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

5. पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। ग्रामीणों के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मेरी सरकार :—

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए चार की संख्या तक दुधारू पशु की खरीद पर वर्तमान ऋण व अनुदान की राशि को दो गुना किए जाने तथा दुग्ध समितियों का गठन करते हुए इसमें महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने,
- ❖ पशुपालन के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर चारा बैंकों की स्थापना किए जाने,
- ❖ दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप दूध के भण्डारण के लिए चिलिंग प्लांट स्थापित करने, तथा
- ❖ गौशाला बहुल क्षेत्रों में गौमूत्र केन्द्र स्थापित कर विपणन की व्यवस्था करने की दिशा में शीघ्रता से कदम उठाएगी।

6. बागवानी के अन्तर्गत फल, पुष्प, सब्जी, जड़ी-बूटी, चाय, बांस तथा नर्सरी उत्पादन आदि के क्षेत्रों में किसानों, युवाओं और ग्रामीण मजदूरों को आधुनिक बागवानी प्रशिक्षण दिए जाने और बागवानी प्रसार कार्यों को विस्तारित किए जाने हेतु मेरी सरकार संकल्पबद्ध है और इस दिशा में मेरी सरकार :—

- ❖ चौखुटिया-रानीखेत स्थित गार्डन को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने, तथा
- ❖ माल्टा, किन्नु, नींबू, सेब, नाशपाती, अनारदाना, अखरोट, आंवला आदि फलों के उत्पादन को और अधिक विस्तारित करते हुए उनके भण्डारण एवं विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करेगी तथा इन फलों के

उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर फल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने पर विचार करेगी।

वन्य जीवों की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों की रक्षा करने हेतु मेरी सरकार संकल्प लेती है और इस दिशा में :—

- ❖ आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों में जनता के परम्परागत अधिकारों की पुनर्बहाली करने,
- ❖ राज्य में वन पंचायतों की संख्या दोगुनी करने तथा उन्हें वन विकास कार्यक्रम से जोड़े जाने,
- ❖ वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने हेतु ठोस प्रयास करने,
- ❖ संरक्षित वन सहित बेनाप भूमि का नया बन्दोबस्त करवाकर राज्य की न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि को वन भूमि से बाहर निकालकर उसे ग्राम सभाओं को सौंपते हुए, इस भूमि का उपयोग जनसुविधाओं के निर्माण, भूमिहीनों को आवंटित करने तथा लघु कुटीर उद्योग लगाने,
- ❖ पर्यावरण संरक्षण की एवज में केन्द्र सरकार से राज्य को ग्रीन बोनस के रूप में उचित धनराशि देने हेतु मजबूत पैरवी करने,
- ❖ कैम्पा से प्राप्त धन का उपयोग पर्यावरण व वन संरक्षण संरचनाओं के निर्माण व रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, तथा
- ❖ वन भूमि के कारण सड़क सुविधा से वंचित राजस्व ग्रामों एवं बस्तियों को यातायात सुविधा का लाभ पहुंचाने हेतु ऐसे वन क्षेत्रों में वन निरीक्षण मार्गों का निर्माण करवाकर वंचित क्षेत्रों को यातायात सुविधा का लाभ दिए जाने का प्रयास करेगी।

अधिक कृषि उपज के लिए भरपूर सिंचाई सुविधा हेतु मेरी सरकार :—

- ❖ सिंचाई को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए सभी कच्चे गूलों को तीन वर्ष में पक्के किए जाने, मांग और आवश्यकता के अनुरूप और अधिक गूलों का निर्माण करने तथा नए नलकूप, हाईड्रम एवं हौजों का निर्माण करने,

- ❖ पुराने तथा नए नलकूपों के लिए बिजली कनेक्शनों के प्रार्थना-पत्रों को समयबद्ध रीति से स्वीकृति प्रदान करने,
- ❖ सीमान्त क्षेत्रों में बागवानी व कृषि के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था करने, तथा
- ❖ राष्ट्रीय जल अनुसंधान संस्थान व सिंचाई आदि से तालमेल कर सिंचाई के आधुनिक साधनों को विकसित किए जाने के लिए कृत संकल्प है।

9. मेरी सरकार, 5 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने, प्राइमरी से लेकर इण्टर स्तर तक के विद्यालयों में भवन एवं सभी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने, प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की नब्बे फीसदी उपस्थिति पर विशेष प्रोत्साहन राशि की शुरुआत करने, विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने, कक्षा एक से अंग्रेजी विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने, राज्य के सभी इण्टरमीडिएट कालेजों में विज्ञान, वाणिज्य, सूचना तकनीक व एन0सी0सी0 को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने, सभी अशासकीय विद्यालयों को आवश्यकतानुसार अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए जनता की मांग पर प्रान्तीयकरण किए जाने तथा प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलते हुए राज्य कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती में स्थान दिए जाने के लिए संकल्पबद्ध है।

10. मेरी सरकार पुरोहिती शिक्षा के लिए अलग शिक्षण संस्थान खोलते हुए संस्कृत महाविद्यालयों को सुदृढ़ किए जाने तथा पुरोहिती शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिए जाने, राज्य में आवश्यकतानुरूप नए महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने, महाविद्यालय स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने, पहाड़ों में पलायन रोकने हेतु इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेजों की स्थापना किए जाने, विकलांग, विधवा, बी0पी0एल0, अन्त्योदय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आन्दोलनकारी परिवार के आश्रितों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की कार्यवाही करेगी।

11. इसके अतिरिक्त मेरी सरकार गढ़वाल विश्वविद्यालय में कई वर्षों से कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं सेवा अवधि के आधार पर नए राज्य विश्वविद्यालय में यथोचित विभागों में समायोजन करने हेतु उचित प्रक्रिया के अधीन विशेष प्रयास किए जाने, उच्च शिक्षा में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास किए जाने, पचास प्रतिशत से अधिक महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करते हुए युवाओं को कारपोरेट क्षेत्र में आकर्षक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने तथा राज्य में युवकों एवं युवतियों के लिए दो अलग-अलग खेल महाविद्यालय खोले जाने हेतु कार्यवाही करेगी।

12. मेरी सरकार :—

- ❖ अस्सी प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उपबन्ध करते हुए पचास प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए आरक्षित कर डॉ० भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक नया व्यावसायिक उच्च तकनीकी प्रशिक्षण विश्वविद्यालय खोले जाने,
- ❖ उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने वाले गरीब परिवार के छात्र-छात्राओं को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने,
- ❖ राज्य के चार लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्यावसायिक, विधि या अन्य उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने,
- ❖ बी०पी०एल० छात्र-छात्राओं को आई०टी०आई० एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने,
- ❖ पॉलीटेक्निक व आई०टी०आई० कॉलेजों में प्रशिक्षकों/अनुदेशकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने,
- ❖ उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल श्रमिक तैयार करने हेतु राज्य के पॉलीटेक्निक व आई०टी०आई० कॉलेजों को सुदृढ़ करते हुए मांग के अनुरूप नए पॉलीटेक्निक व आई०टी०आई० कॉलेज खोले जाने,

❖ राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाओं व विद्यालयों, स्टेडियमों का नामकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, पर्वतरोहियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों, वीरगति प्राप्त सैनिकों तथा राज्य आंदोलनकारियों के, नाम पर किए जाने, तथा

❖ राज्य के मेधावी छात्रों के प्रतिष्ठित व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों, आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, एन0आई0टी0, एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, मेडिकल में प्रवेश के लिए चयनित होने की दशा में एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

13. मेरी सरकार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटीकल्स जैसे— हाईटेक उद्योग लगाने के लिए करों में छूट, रियायती दरों पर सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने, राज्य में लघु कुटीर उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, सूचना तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी को विशेष सहायता देकर बढ़ावा दिए जाने, उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों में ठेका प्रथा पर काम करवाने की व्यवस्था को प्रतिबन्धित किए जाने, केन्द्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त अनुदान से दो नए फूड पार्कों की स्थापना करने, महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, कम ब्याज पर ऋण तथा उनके उत्पाद पर बिक्री कर में छूट दिए जाने तथा राज्य में छपाई, बुनाई, कताई और शिल्प कार्यों से जुड़े हुए लोगों के साथ-साथ बुनकरों, कालीन निर्माताओं आदि को कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध कराते हुए तैयार माल के विपणन की व्यवस्था किए जाने एवं इस हेतु बुनकर कल्याण कोष की स्थापना किए जाने की दिशा में ठोस पहल करेगी।

14. मेरी सरकार सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिए जाने, रोजगार कार्यालय में पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत नौजवानों को सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी न मिलने की दशा में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़कर राज्य लघु उद्यमिता वित्त विकास निगम से एक लाख ब्याज मुक्त ऋण अतिरिक्त राशि के रूप में दिए जाने तथा तीन वर्ष से लगातार रोजगार कार्यालय में राज्य के पंजीकृत बेरोजगारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप 750 से 1500 रुपये तक की धनराशि

प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाने तथा लड़कियों एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों को उपरोक्त धनराशि से पचास प्रतिशत अधिक धनराशि दिए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

15. मेरी सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं उत्तराधिकारियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना तैयार करने, राज्य आन्दोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी के नाम से जाने जाने, राज्य आंदोलन के शहीद स्थलों को राजकीय स्मारक के रूप में विकसित किए जाने, स्वरोजगार अपनाने वाले राज्य आन्दोलनकारियों को पूर्व सैनिकों की तर्ज पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने तथा राज्य आन्दोलनकारियों की पेन्शन में सम्मानजनक बढ़ोतरी किए जाने हेतु दृढ़ संकल्प है।
16. मेरी सरकार केन्द्र और अन्य राज्यों में उपलब्ध मानदण्डों के अनुसरण में मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं मीडियाकर्मियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी आवासों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित किए जाने, राज्य में पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु पत्रकार कल्याण परिषद् का गठन करते हुए पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा आर्थिक रूप से अक्षम, बीमार या दुर्घटनाग्रस्त पत्रकारों की सहायता के लिए पांच करोड़ रुपये के अंशदान से पत्रकार कल्याण कोष का गठन किए जाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्यवाही करेगी।
17. मेरी सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के लिए बार कक्ष का निर्माण किए जाने तथा अधिवक्ताओं की सहायता के लिए राज्य में अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन किए जाने हेतु ठोस कार्यवाही करेगी।
18. मेरी सरकार पंचायती राज्य अधिनियम का विधिवत् रूप से अधिनियमन करने, सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शासकीय नियमों के अन्तर्गत आहूत बैठकों में आने-जाने हेतु मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता दिए जाने, तीनों स्तर की पंचायतों को विकास कार्यों हेतु राज्य वित्त की मदद से मिलने वाली धनराशि में यथोचित बढ़ोतरी

किए जाने, पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु सभी 29 विषयों को विधिवत् रूप से पंचायतों के अधीन करते हुए ठोस कार्यवाही करने, निकाय सभासदों को सभी सरकारी बैठकों के लिए दैनिक भत्ता दिए जाने तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप निकायों को अधिकार सम्पन्न किए जाने की दिशा में सार्थक पहल करेगी।

19. मेरी सरकार :—

- ❖ ऐसी व्यवहारिक श्रम नीति अपनाएगी, जिसके माध्यम से मजदूर व मालिकों में सामंजस्य स्थापित कर श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो सके,
- ❖ राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला पुरुष श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो सके,
- ❖ सभी दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अधीन लाभ मिल सके,
- ❖ विभिन्न उद्योगों, प्रतिष्ठानों तथा अर्द्धसरकारी संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उचित वेतन, ओवरटाइम, बोनस, आवास भत्ता आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने हेतु आवश्यक उपाय करने पर विचार करेगी।

इसके अतिरिक्त मेरी सरकार :—

- ❖ विभिन्न चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास व डी0ए0 का मूल वेतन में समायोजित करवाने का न्यायपूर्ण निर्णय कराए जाने,
- ❖ तृतीय श्रम आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन किए जाने,
- ❖ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई0एस0आई0 अस्पतालों के लिए भूमि उपलब्ध करवाकर इनका शीघ्र निर्माण किए जाने,
- ❖ वर्षों से लम्बित विभिन्न श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रदेश स्तरीय श्रमिक न्यायालय का गठन किए जाने,
- ❖ वन श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष राज्य बीमा योजना की शुरुआत तथा दुर्घटना व्याधि निधि कोष की स्थापना किए जाने, और

- ❖ राज्य सरकार अपने संसाधनों से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में तर्कसंगत बढ़ोतरी करने की दिशा में सार्थक पहल करेगी।

20. मेरी सरकार :—

- ❖ राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधाओं का लाभ दिए जाने,
- ❖ बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वेतनमान के निर्धारण हेतु आवश्यक नियम बनाए जाने,
- ❖ वेतन विसंगतियों, पदोन्नति व स्थानान्तरण सहित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु कर्मचारियों एवं शिक्षकों से सतत् संवाद व परामर्श आधारित निर्णय के लिए वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किए जाने,
- ❖ सभी अस्थायी, तदर्थ, वर्कचार्ज, ठेकेदारी प्रथा में कार्यरत तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण हेतु उचित कदम उठाए जाने,
- ❖ जोखिम भरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पन्द्रह साल की सेवा के उपरान्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू किए जाने,
- ❖ राज्य के प्रत्येक विभाग में समयबद्ध वेतनमान के अनुरूप पदनाम देकर पदोन्नति की गारंटी दिए जाने,
- ❖ शिक्षकों तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण की स्पष्ट पारदर्शी नीति सम्बन्धित शिक्षक व कर्मचारी संगठन के परामर्श से तैयार करने,
- ❖ राष्ट्रपति पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक कर्मचारियों को मिलने वाले दो वर्ष के सेवा विस्तार में उनकी वरीयता को यथावत् माने जाने,
- ❖ सीमान्त/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों को दुर्गम सीमान्त क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने, तथा
- ❖ राज्य के उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेन्शन का नियमित भुगतान तथा अन्य समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान करने का प्रयास करेगी।

21. मेरी सरकार आशा कार्यकत्रियों को प्रोत्साहन राशि के अलावा पांच सौ रुपये मासिक मानदेय दिए जाने, आशा कार्यकत्रियों को सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण देकर बहुउद्देशीय ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मों के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती दिए जाने, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को मुख्य राजपत्रित अवकाश का लाभ देने के साथ-साथ मासिक मानदेय में क्रमशः 1500 रुपये एवं 750 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी किए जाने, भोजन माताओं एवं ग्राम प्रहरियों के मासिक मानदेय में उचित बढ़ोतरी किए जाने की कार्यवाही तत्परता से करेगी।
22. इसके अतिरिक्त मेरी सरकार सतत शिक्षा, प्रेरक शिक्षा, आचार्य, शिक्षा मित्र, शिक्षाबन्धु, अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मों, मनरेगा कर्मों, दैनिक कर्मों, वर्कचार्ज कर्मों, तदर्थ कर्मचारी व ठेका प्रथा पर काम करने वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत इस प्रकार के सभी कर्मियों को एक स्पष्ट व पारदर्शी नीति के अधीन उनकी सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सरकारी सेवाओं में समायोजन की ठोस शुरुआत करेगी।
23. मेरी सरकार :—
- ❖ राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को इलाज हेतु प्रतिवर्ष तीस हजार के बजाय पचास हजार रुपये उपलब्ध कराएगी। मनरेगा श्रमिकों, घरेलू नौकरों, होटल कर्मचारियों, टेली पटरी व्यवसायियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं तथा आशा कार्यकत्रियों, प्राइवेट बस, ट्रक, टैक्सी चालकों, रिक्शा, तांगा, आटो चालकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित कर उन्हें भी इस योजना का लाभ दिए जाने,
 - ❖ नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए जनसंख्या मानकों को शिथिल करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष प्रयास किए जाने,
 - ❖ विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चिकृत कर महिला चिकित्सक सहित तीन चिकित्सकों की

तैनाती तथा विकासखण्ड के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती करने,

- ❖ राज्य व्याधि निधि कोष का विस्तार, प्राकृतिक आपदा तथा गम्भीर रोगों के इलाज हेतु उचित धनराशि का प्राविधान करने,
- ❖ राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने के लिए बीमा कम्पनियों के माध्यम से नीति लागू किए जाने,
- ❖ 108 सेवा का विस्तार करते हुए राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करने तथा 108 से जुड़े सभी कर्मियों को श्रम कानूनों के अनुरूप उचित मानदेय/वेतन दिलाने एवं उनके कार्य करने की अवधि का निर्धारण करने हेतु सम्बन्धित संस्था से ठोस पहल करने,
- ❖ ग्रामीण दाईयों को दाई का प्रशिक्षण देकर उचित मानदेय दिए जाने,
- ❖ टिहरी में मेडिकल कालेज की स्थापना, पिथौरागढ़ में नैचुरोपैथी कालेज तथा उत्तरकाशी में यूनानी चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालय, रानीखेत में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा गैरसैण में दाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने,
- ❖ पर्वतीय क्षेत्रों में साल में दो बार विकास खण्ड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने, तथा
- ❖ राज्य में फिजियोथेरेपी, स्पा, योग मसाज, एक्जूप्रैशर थेरेपी आदि के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्यवाही की जाएगी।

24. मेरी सरकार :—

- ❖ राज्य के गाड़ गधेरों पर जल की उपलब्धता के आधार पर लघु पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करके इनका रख-रखाव ग्राम पंचायत के माध्यम से करने,
- ❖ निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण अगले तीन वर्षों से पूर्व पूर्ण करवाए जाने,

- ❖ विद्युत उत्पादन व मांग के अन्तर को कम करते हुए वर्ष 2014 तक विद्युत विहिन 790 राजस्व ग्राम व 2000 के लगभग उपग्रामों/बस्तियों का विद्युतीकरण पूरा किए जाने,
- ❖ किसानों व उद्योगों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने,
- ❖ 440 के0वी0, 220 के0वी0, 132 के0वी0 के स्टेशनों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाकर विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने,
- ❖ गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे— पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं बायोगैस के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने, तथा
- ❖ राज्य के मैदानी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के सहयोग से थर्मल पावर प्लान्ट तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में सार्थक कदम उठाएगी।

25. मेरी सरकार भोजन सुरक्षा अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करके यह सुनिश्चित करेगी कि —

- ❖ बी0पी0एल0 परिवारों का पुनः सर्वे करवाकर छूटे हुए गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड उपलब्ध हो जाए,
- ❖ बी0पी0एल0 परिवारों को दो रुपये किलो की दर से गेहूँ व चावल उपलब्ध कराने के साथ-साथ तेल व दालें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाए, तथा
- ❖ मनरेगा श्रमिक परिवार के रूप में पंजीकृत ए0पी0एल0 परिवारों को भी सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध हो जाए ताकि कोई व्यक्ति भूखा न रहे।

26. मेरी सरकार राज्य के सभी गांवों को अगले पांच वर्षों से सड़क मार्गों से जोड़े जाने, सभी कच्चे मोटर मार्गों का डामरीकरण किए जाने, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त और बदहाल सड़कों को एक साल के अन्दर बेहतर बनाए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु सड़कों का सुदृढीकरण तथा वाहनों की फिटनेस एवं ड्राइविंग मानकों में आवश्यक सुधार किए जाने, सड़कों के बेहतर रखरखाव हेतु गैंग श्रमिकों की संख्या में पांच गुना बढ़ोतरी किए जाने, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर

जैसे बड़े शहरों में एलीवेटिड रोड़, ओवर ब्रिज, सब-वेज आदि का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने, राज्य के दोनों मण्डलों को जोड़ने वाले दो मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर विकसित किए जाने, निजी क्षेत्र के सहयोग से आवश्यकता के अनुरूप रज्जु मार्गों का निर्माण कराए जाने तथा चीन, नेपाल सीमा के निकटवर्ती मार्गों को पूरे वर्ष भर यातायात हेतु सुलभ कराने का प्रयास करेगी।

मेरी सरकार :—

- ❖ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए भूमि हस्तान्तरण का कार्य सर्वेक्षण के छः माह के अन्दर पूर्ण कर दिए जाने,
- ❖ भारत सरकार से विशेष आग्रह कर हरिद्वार-देहरादून को डबल लाइन बनाने,
- ❖ ऋषिकेश-उत्तरकाशी, देहरादून-विकासनगर नई रेलवे लाइनों के निर्माण की स्वीकृति करवाने,
- ❖ मुजफ्फरनगर-रुड़की नई रेलवे लाइन का निर्माण राज्य सरकार की भागीदारी से करवाए जाने,
- ❖ किच्छा-खटीमा, टनकपुर-बागेश्वर एवं रामनगर-गैरसैण नई रेलवे लाइनों के निर्माण की स्वीकृति करवाने, और
- ❖ प्रदेश के 20 सघन यातायात रेलवे क्रॉसिंग वाले प्रमुख स्थानों पर रेल ओवर ब्रिज बनाए जाने का प्रयास करेगी।

मेरी सरकार हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार किए जाने, सिविल एविएशन क्लब बनाकर इच्छुक योग्य नौजवानों को पायलट व एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग दिए जाने तथा देहरादून को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तर्ज पर विकसित करवाकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं शुरू करवाए जाने की दिशा में प्रयास करेगी।

मेरी सरकार :—

- ❖ नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को दिए गए आवासीय पट्टों को मालिकाना हक दिए जाने,

- ❖ साठ हजार से कम वार्षिक आय वाले नगरीय क्षेत्र में रहने वाले आवास विहीन परिवारों को राजीव गांधी आवास योजना के माध्यम से अगले पांच वर्षों में आवास उपलब्ध कराने,
 - ❖ उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रपुर तथा हल्द्वानी में आधुनिक सुविधायुक्त बस अड्डों का निर्माण तथा छोटे नगरों में टैक्सी स्टैंड का निर्माण एवं पार्किंग स्थल का निर्माण कराए जाने,
 - ❖ मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक नगर में सीवर लाइन का निर्माण किए जाने,
 - ❖ नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किए जाने,
 - ❖ कूड़े का निस्तारण करने वाले नगरों को पच्चीस लाख से दो करोड़ रुपये तक की विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने,
 - ❖ नगरपालिका के निम्न आय श्रेणी के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की योजना पर तेजी से काम किए जाने,
 - ❖ शहरों तथा कस्बों में कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था किए जाने, तथा
 - ❖ मलिन बस्तियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु नीति बनाए जाने की दिशा में कार्यवाही करेगी।
30. मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए शत-प्रतिशत अनुदान पर शौचालयों का निर्माण कराए जाने, 300 या इससे अधिक आबादी वाले पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामों में सामुदायिक भवनों/बारात घरों के निर्माण हेतु तथा राजमार्गों/पर्यटक मार्गों पर स्थित ग्राम पंचायतों में पर्यटक आवास गृहों के निर्माण हेतु स्पेशल ग्रांट दिए जाने तथा मुख्य मोटर मार्गों, यातायात मार्गों पर बसे हुए गावों को इकोटूरिज्म से जोड़े जाने की कार्यवाही करेगी।
31. मेरी सरकार :—
- ❖ कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु लोगों को शिक्षित करने,

- ❖ बालिकाओं को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विद्यालय आने-जाने हेतु साईकिल या वाहन किराया उपलब्ध कराए जाने,
- ❖ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने,
- ❖ बी०पी०एल० परिवार की बालिकाओं की शादी के लिए कन्या धन योजना लागू करते हुए पचास हजार रुपये की धनराशि दिए जाने,
- ❖ महिला वित्त विकास निगम की स्थापना किए जाने,
- ❖ परित्यक्ता, आश्रयहीन व आवासविहीन अकेली रहने वाली महिला को प्रथम वरीयता पर इन्दिरा आवास, मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने,
- ❖ विधवा तथा वृद्ध निराश्रित महिलाओं की पेन्शन राशि को दोगुना किए जाने,
- ❖ प्रत्येक गांव में महिला मंगल दलों तथा महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करते हुए इनके बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता तथा न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने,
- ❖ घरेलू हिंसा तथा महिलाओं पर अत्याचार से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किए जाने, तथा
- ❖ कामकाजी महिलाओं के लिए देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में वूमेन्स वर्कर हॉस्टलों का निर्माण किए जाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्यवाही करेगी।

32. मेरी सरकार :—

- ❖ प्रत्येक गांव में युवक मंगल दल का गठन आवश्यक रूप करवाते हुए उन्हें खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रतिवर्ष अनुदान दिए जाने,
- ❖ युवक मंगल दलों के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाते हुए उन्हें ग्राम सुरक्षा समितियों तथा ग्रामीण आपदा प्रबन्धन कार्यों के साथ जोड़े जाने,
- ❖ प्रत्येक विकास खण्ड में स्टेडियम/मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए जाने,

- ❖ युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एन0सी0सी0 प्रशिक्षण पर जोर देते हुए प्रत्येक जिले में फिजिकल ट्रेनिंग सेन्टर खोलकर सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं को इनमें प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने,
 - ❖ खिलाड़ियों को नौकरी में तीन प्रतिशत का आरक्षण तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु पांच प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने,
 - ❖ राज्य स्तर के खिलाड़ियों को राज्य के बाहर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्ग व्यय तथा आवासीय सुविधा दिए जाने,
 - ❖ प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी खर्च पर अग्रिम प्रशिक्षण दिए जाने,
 - ❖ राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागी तथा ओलम्पिक और एशियन गेम्स में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानजनक पेन्शन दिए जाने,
 - ❖ अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न एवं मेजर ध्यान चन्द एवार्ड या इनके समकक्ष पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को सम्मानजनक पेन्शन दिए जाने, तथा
 - ❖ पैरा ओलम्पिक (विकलांगों का ओलम्पिक) में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की दिशा में कार्यवाही करेगी।
33. मेरी सरकार महाविद्यालय स्तर पर छात्र संगठनों को कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराए जाने और शिक्षण सत्रों को नियमित किए जाने का प्रयास करेगी।
34. मेरी सरकार :—
- ❖ दून विश्वविद्यालय व आई0टी0आई0, रुड़की में महर्षि वाल्मिकी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर चेयर स्थापित करने,
 - ❖ स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से मिलने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अलग से निदेशालय बनाने के साथ-साथ कार्यदायी संस्था भी बनाने,

- ❖ राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक व अन्य गरीब वर्ग के छात्र-छात्राओं के विकास व कल्याण हेतु छात्रावासों की संख्या बढ़ाए जाने पर विचार करने,
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक व अन्य गरीब वर्ग के लोगों को पट्टे पर आवंटित की गई कृषि भूमि के विवादों को हल करने व भूमि का कब्जा दिलाने के लिए जिलाधिकारी को उत्तरदायी बनाने,
- ❖ वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा पेन्शन की राशि को दुगुना करने,
- ❖ प्रत्येक जिले में नारी निकेतन एवं बाल सुधार गृह की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

35. मेरी सरकार :—

- ❖ प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को राज्य में व्यापक रूप से लागू किए जाने,
- ❖ अल्पसंख्यक वित्त निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसे वित्त व बैंकिंग संस्थान के रूप में विकसित किए जाने,
- ❖ गढ़वाल व कुमाऊं विश्वविद्यालयों में उर्दू को एक विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने,
- ❖ उर्दू, फारसी बोर्ड का गठन करने,
- ❖ जंगलों में वन गुर्जरों के परम्परागत अधिकारों को संरक्षण दिए जाने,
- ❖ अल्पसंख्यक विभाग का अलग से मंत्रालय बनाकर इसके अन्तर्गत हज हाउस, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी जैसे अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विषय होने,
- ❖ राज्य में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउण्डेशन की स्थापना करके उसके माध्यम से गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगारों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु पांच लाख रुपये तक की धनराशि दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देने हेतु प्रतिवर्ष बजट में पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किए जाने,

- ❖ अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु प्रतिवर्ष न्यूनतम एक हजार रुपये स्वयं सहायता समूह गठित करके उन्हें पच्चीस प्रतिशत अनुदान के साथ लघु कुटीर उद्योग लगाने हेतु न्यूनतम सर्विस चार्ज पर ऋण उपलब्ध कराने,
- ❖ अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं मेडिकल व इंजीनियरिंग तक की सम्पूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क के बराबर तथा बालकों को शिक्षण शुल्क की आधी धनराशि के बराबर छात्रवृत्ति देने का प्राविधान करने,
- ❖ सभी अल्पसंख्यक छात्रों को आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने,
- ❖ सभी मदरसों में दोपहर के भोजन का प्राविधान करने,
- ❖ जिन मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान है, उनमें कम्प्यूटर प्रशिक्षक का खर्चा तथा कम्प्यूटर का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन करने,
- ❖ अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में ढांचागत सुविधा के विकास हेतु प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने,
- ❖ पंजाबी व उर्दू भाषा के शिक्षकों के लिए बी0एड0, एल0टी0 के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था, आवश्यकता के अनुरूप पदों का सृजन तथा रिक्त पदों पर एक वर्ष के अन्दर शत-प्रतिशत नियुक्त करने,
- ❖ चारधामों की तर्ज पर कलियर शरीफ तथा हेमकुण्ड साहिब को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए अलग से बजट का प्राविधान करने,
- ❖ कलियर शरीफ में लगने वाले मेले को राज्य स्तर के मेले की मान्यता देते हुए बजट का प्राविधान करने,
- ❖ अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने, तथा
- ❖ गरीब परिवार के अल्पसंख्यक कन्या के विवाह हेतु राज्य सरकार पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यवाही करेगी।

36. मेरी सरकार :—

- ❖ प्रत्येक भूमिहीन आवास विहीन परिवार को जमीन क्रय करके शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराने,
- ❖ चालीस प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों एवं राजस्व ग्रामों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मद से सभी आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण करने,
- ❖ इन्दिरा गांधी आशीर्वाद योजना प्रारम्भ करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य गरीब वर्ग की कन्याओं को बचत पत्र के माध्यम से विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध करने,
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य गरीब वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति देने का प्राविधान करने,
- ❖ निजी शिक्षण संस्थानों, विशेषकर तकनीकी व मेडिकल संस्थानों में आरक्षण लागू करवाकर इन संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन करने,
- ❖ सरकारी सेवाओं में आरक्षित पदों पर एक वर्ष के अन्दर विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरने तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 85वां संविधान संशोधन के अनुरूप पदोन्नति में वरिष्ठता दिए जाने,
- ❖ सफाई कर्मचारियों के नए पदों का सृजन करते हुए नियुक्ति करने,
- ❖ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मद में जिला एवं तहसील मुख्यालयों में खुशीराम शिल्पकार एवं भवानी भाई के नामों से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था वाले छात्रावासों का निर्माण किए जाने,
- ❖ राज्य में जयानन्द भारती तथा हरिप्रसाद टम्टा के नामों से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दो स्थानों पर आवासीय पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना करने,
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की निःशुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधा सहित विशेष प्रशिक्षण

दिए जाने तथा इसके साथ छात्रवृत्ति का लाभ देने के लिए पूर्व निर्धारित वार्षिक आय की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने,

- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को आई०ए०एस०, आई०पी०एस० स्तर की परीक्षाओं में चयन से पूर्व देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने,
- ❖ जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने,
- ❖ गरीब परिवार की अनुसूचित जाति की कन्या के विवाह में पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने,
- ❖ शिल्पकारों के पारम्परिक कार्यों जैसे— लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, ताम्रकारी आदि को प्रोत्साहन देने हेतु लघु उद्योग का दर्जा देकर पचास प्रतिशत अनुदान पर ऋण तथा व्यवसाय हेतु निःशुल्क भूमि/दुकान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

37. मेरी सरकार विमुक्त व पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र समुदाय का नए सिरे से सर्वेक्षण करने, पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करने, वन गुर्जरों व चरवाहों को सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु विशेष परिचय पत्र जारी करने और इस वर्ग के नौजवानों को शिक्षा/रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए विशेष योजना बनाने, वन गुर्जरों के द्वारा उत्पादित दूध के विपणन के लिए छोटी-छोटी दुग्ध डेरियों की स्थापना करने, तथा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों को प्राप्त सभी राजकीय सुविधाएं पिछड़े वर्ग व विमुक्त समाज के लोगों को उपलब्ध कराने पर प्राथमिकता से विचार करेगी।

38. मेरी सरकार :—

- ❖ बी०पी०एल० परिवारों के चिन्हीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को शिथिल करते हुए चिन्हीकरण के छोटे हुए परिवारों को बी०पी०एल० श्रेणी में शामिल करने,

- ❖ पचास हजार रुपये वार्षिक आय वाले आवास विहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु साठ हजार रुपये प्रति आवास की दर से समस्त परिवारों को आवास अनुदान राशि प्रदान करने,
- ❖ बी०पी०एल० परिवारों के द्वारा लिए गए सभी सरकारी कृषि ऋणों पर विगत ब्याज में माफी दिए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

39. मेरी सरकार :—

- ❖ उत्कृष्ट सेवा पदक/वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्री किराए में पचास प्रतिशत की छूट देने,
- ❖ विभिन्न चक्रों व पदकों से सुशोभित सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के नाम की सूची बनाकर उनके नाम जिलाधिकारी व जिला पंचायत के कार्यालयों में सम्मान पट्ट पर लिखे जाने,
- ❖ मोबाइल सी०एस०डी० केन्टीन सेवा प्रारम्भ करने हेतु योजना बनाने, प्रदेश में खनन के लाइसेंस पूर्व सैनिकों को आवंटन, तहसील स्तर पर सैनिक विश्राम गृह का निर्माण, राज्य स्तर पर गौरवशाली शहीद स्मारक की स्थापना, प्रत्येक जनपद में पूर्व सैनिकों की पर्यावरण रक्षा वाहिनी तथा आपदा प्रबन्धन दलों सहित राज्य में दो अतिरिक्त ईको टास्क फोर्स बटालियन का गठन तथा पूर्व सैनिकों एवं अर्द्धबल सैनिकों को भवन कर में छूट देने,
- ❖ पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करने तथा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर तीस हजार रुपये करने एवं युद्ध शहीद की विधवा अथवा एक पुत्र या पुत्री को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी या प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने,
- ❖ कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों के नाम पर उनके ग्राम व क्षेत्र की शिक्षण संस्था का नाम रखने,
- ❖ पूर्व व सेवारत सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय परामर्श समिति का गठन करने, जिसके आधे सदस्य इन दोनों

श्रेणियों के सेवानिवृत्त लोग ही होंगे, जिसके माध्यम से वन रैंक वन पेंशन योजना को पूर्णतः लागू करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाने,

- ❖ राज्य सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ अर्द्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों को भी दिए जाने,
- ❖ पूर्व सैनिकों की सम्पत्ति से अवैध कब्जे हटाने से लेकर अन्य समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह किए जाने हेतु मेरी सरकार संकल्पबद्ध है।

40. मेरी सरकार एस0एस0बी0 प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को राज्य सरकार उनकी उम्र एवं शैक्षिक योग्यता के अनुरूप पुलिस, पर्यावरण वाहिनी, होम गार्ड, ग्राम प्रहरी आदि पदों पर काम करने का अवसर प्रदान करने तथा ऐसे स्वयं सेवक, जो इन पदों पर काम करने योग्य या इच्छुक नहीं होने और उन्हें स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ठोस कदम उठाएगी।

41. मेरी सरकार :—

- ❖ सभी नगरों, राजस्व ग्रामों, उप ग्रामों तथा बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने,
- ❖ राज्य में अगले पांच वर्षों में उचित स्थानों पर 25000 हैण्ड पम्पों की स्थापना करने,
- ❖ पुरानी मरम्मत योग्य या बन्द एकल ग्राम पेयजल योजनाओं तथा बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं के रख-रखाव, मरम्मत तथा पुनर्गठन हेतु राज्य सैक्टर में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने,
- ❖ जल स्रोत विहीन क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने,
- ❖ केन्द्र सरकार के सहयोग से आवश्यकता के अनुरूप लिफ्ट पेयजल पम्पिंग पेयजल योजनाओं का निर्माण करने हेतु ठोस प्रयास करने,
- ❖ यात्रा मार्गों पर पेयजल व्यवस्था का विस्तार करने,

- ❖ वर्षा जल संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर, इसके क्रियान्वयन करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने,
- ❖ पेयजल से सम्बन्धित विभागों में कार्यरत दैनिक श्रमिकों/वर्कचार्ज कर्मचारियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी किए जाने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

42. मेरी सरकार :—

- ❖ पर्यटन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देकर औद्योगिक ऋण की पात्रता देने,
- ❖ राज्य के समस्त पर्यटक स्थलों के मोटर मार्गों, पैदल मार्गों एवं चारधाम यात्रा मार्ग का सुदृढीकरण करने के साथ-साथ इन यात्रा मार्गों के सभी छोटे-छोटे कस्बों में आवश्यक यात्री सुविधाओं का विस्तार करने,
- ❖ यात्रा मार्गों के सभी बड़े कस्बों में उच्च कोटि के पर्यटक सुविधा केन्द्र तथा पर्यटक अतिथिगृहों का निर्माण करने,
- ❖ हरिद्वार, कलियर शरीफ व हेमकुण्ड साहिब में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष सुविधायुक्त विश्राम गृह बनाने,
- ❖ चार धाम यात्रा मार्गों पर स्थित जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालयों में ट्राना सेन्टर की स्थापना के साथ-साथ आधुनिक सुविधाजनक सचल चिकित्सा दल वाहन तैनात करने,
- ❖ पर्यटन आवास से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों वाले विभिन्न संस्थानों को विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन शिक्षा, होटल मैनेजमेन्ट, टूरिज्म गाइड प्रशिक्षण, साहसिक पर्यटन पर्वतारोहण जैसे विषयों से सम्बन्धित आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने,
- ❖ राष्ट्रीय पशु विहारों, वन अभ्यारण्यों के निकटवर्ती गांवों को पर्यटनग्राम के रूप में विकसित करते हुए इन क्षेत्रों में पर्यटकों की बारह महीनों आवाजाही के ठोस प्रयास करने,
- ❖ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले विभिन्न तंग सड़क वाले कस्बों में बाईपास मार्ग का निर्माण करने,

- ❖ कैलाश यात्रा मार्ग पर रज्जु मार्गों का निर्माण कराए जाने,
- ❖ टिहरी बांध के जलाशय को केन्द्र सरकार की सहायता से एक वृहद् कार्य योजना बनाकर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त कराने,
- ❖ पर्यटन उद्योग से जुड़ने वाले सभी प्रकार के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन वित्त निगम की स्थापना करने,
- ❖ पर्यटन मार्गों पर स्थित कस्बों में पर्यटकों के लिए सस्ती व साफ सुथरी आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु इस दिशा में सफल कार्य योजना बनाए जाने का कार्य प्राथमिकता से करेगी।

43. मेरी सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नई पुनर्वास नीति पर पूर्णतः अमल करने, राज्य में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं हेतु जिन परिवारों की चालीस प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहण की गई है, को पूर्ण विस्थापन का लाभ देते हुए परिवार के एक शिक्षित बेरोजगार को परियोजना या राज्य सरकार की नौकरी में विशेष आरक्षण का लाभ दिए जाने, जलविद्युत परियोजनाओं से राज्य सरकार को होने वाले कुल लाभांश का दस प्रतिशत परियोजना प्रभावित क्षेत्र व परिवारों के कल्याणार्थ खर्च करने की कार्यवाही तत्परता से करेगी।

44. मेरी सरकार टिहरी बांध से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों तथा प्रभावित क्षेत्र की लम्बित समस्याओं के निस्तारण हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था करते हुए एक वर्ष के अन्दर सभी मामले निपटाने तथा बांध एवं विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास एवं रोजगार की स्पष्ट एवं व्यापक नीति लागू करते हुए ठोस कदम उठाएगी।

45. उत्तराखण्ड राज्य जोन 4-5 में स्थित होने के कारण भूकम्प तथा दैवीय आपदा के मामले में अति संवेदनशील है, इसलिए मेरी सरकार राज्य की आपदा प्रबन्धन नीति को सुदृढ़ तथा कारगर बनाने, दैवी आपदा प्रभावित परिवारों को केन्द्रीय आपदा राहत नीति

में दी जाने वाली राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा भी प्रभावित परिवारों को दिए जाने, भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्रों तथा निरन्तर भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर वहाँ के निवासियों के पुनर्वास की योजना तैयार करने की कार्यवाही प्राथमिकता से करेगी।

46. इसके अतिरिक्त मेरी सरकार प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ करने तथा राज्य में जंगली जानवरों सहित अन्य जानवरों द्वारा जनहानि, मकान, फसल या अन्य सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाने, व्यक्ति के पेड़, पहाड़ आदि से गिरकर घायल अथवा निधन होने पर उचित मुआवजे का प्राविधान करने हेतु ठोस कदम उठाएगी।
47. नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के साथ-साथ नदियों में कारखानों का कचरे एवं सीवर लाइन की निकासी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए जाने, तथा नदियों के जल स्तर में हो रही गिरावट को देखते हुये नाबार्ड के सहयोग से नदियों एवं गाड़ गधेरो के उद्गम क्षेत्र में व्यापक रूप से जलसंवर्धन कार्य कराने हेतु मेरी सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।
48. मेरी सरकार, गैर सरकारी सभी सार्वजनिक सेवा के वाहन चालकों के लिये दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का प्राविधान करने, छोटे नगरों तथा कस्बों में जहाँ से 15 या इससे अधिक वाहन संचालित होते हों, में पार्किंग तथा टैक्सी चालक यूनियन के भवनों का निर्माण कराए जाने, गैर सरकारी सभी सार्वजनिक सेवा के वाहन चालकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से करेगी।
49. इसके अतिरिक्त देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, रामनगर एवं कोटद्वार में सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन खोलने के यथासम्भव प्रयास, परिवहन निगम में ठेका प्रथा समाप्त कर नियमित कर्मचारियों की भर्ती तथा परिवहन निगम में नई बसों की खरीद हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किए जाने हेतु मेरी सरकार कदम उठाएगी।
50. मेरी सरकार, किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण दिए जाने, श्रम सविदा समितियों को और अधिक सक्रिय करते हुये उन्हें

रोजगार से जोड़ने, सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के लिये वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उर्वरक, बीज एवं अन्न भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करवाकर इनका संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से कराने हेतु कार्यवाही करेगी।

51. मेरी सरकार, प्रत्येक जनपद में पचास शैय्या क्षमता के वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रमों की स्थापना करने, राज्य के गैर आयकर दाता सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी।
52. मेरी सरकार जमरानी बांध के निर्माण की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने की यथासम्भव प्रयास करेगी।
53. मेरी सरकार, साहित्य कला एवं लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने, लोक संस्कृति से जुड़े हुए वाद्ययंत्रों के संरक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु टिहरी एवं अल्मोडा में म्यूजियम एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने, लोक कवियों, कलाकारों, लोक गायकों, लोक नर्तकों, लोक वादकों एवं ढोल-दमाऊ बाजगियों के लिये पेंशन योजना लागू करने, प्रत्येक जनपद में कला संस्कृति एवं साहित्य की सुरक्षा के लिये एक-एक रंगशाला खोले जाने, राज्य के दोनों भातखण्डे महाविद्यालयों को सुदृढ किए जाने तथा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पौराणिक मेलों को प्रोत्साहन देने हेतु कटिबद्ध है।
54. मेरी सरकार, गढ़वाली और कुमाऊँनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने, गढ़वाली और कुमाऊँनी फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पर नैनीताल और देहरादून में कला संस्थानों की स्थापना करने तथा साहित्य के क्षेत्र में सुमित्रानन्दन पन्त अवार्ड की शुरुआत करने के लिए इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।